

प्रेषित:



## भारत सरकार **Government of India** खान मंत्रालय

**Ministry of Mines** भारतीय खान ब्यूरो

## **Indian Bureau of Mines**

Mine Code: 38RAJ09002

दिनांक :

माखुपूरा औद्वोगिक क्षेत्र,

Makhupura Industrial Area

Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

फैक्स नं 0145.2695202 फोन नं 2695165

अजमेर.-305 002 (राजस्थान)

13.12.2022

संख्या : RAJ/ÇHT/LST-5 Vol.-III

एजेंट, कारुन्दा चूना पत्थर खान, मेसर्स जे.के. सीमेंट वर्क्स,

(जेके सीमेंट लिमिटेड की इकाई),

कैलाश नगर- 312617,निम्बाहेरा,जिला-चित्तौडगढ (राजस्थान)

ईमेल- manish.toshniwal@jkcement.com

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Karunda

Limestone Mine (M.L. No. 3/2003, Lease area 240.86 Hect.) in Chittaurgarh District of Rajasthan State.

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in महोदय, your above mine during the inspection made on 25.11.2022 by the undersigned in presence of Sh. Peeyush Kumar

Ameta, Mine Manager:

A	Ameta, Mine	Manager:  Nature of violation observed in detail  Nature of violation observed in mraying of approved Review	1
	Rule No.	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review	
	Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation	
		of Mining Plan (Approved on 28.11.2018): -  (i) During the year 2021-22, total 130m retaining wall was proposed at the bottom of the waste	
		(i) During the year 2021-22, total 13011 retaining want was 1	
		(i) During the year 2021-22, total 156th Formula of the year.  dump but no such retaining wall was made during the year.  के कि उपलेखन नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियम	Т

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है। 03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

> वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :--

1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई-मेलद्वारा)।

2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर, राजस्थान।

3 सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, निम्बाहेड़ा जिला-चितोडगढ़।

4 रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो